हिन्दुस्तान
दिल्ली, लखनऊ, पटना और रांची से प्रकाशित
● पृष्ठ 12 ● नई दिल्ली, सोमवार, 4 मार्च, 2002 ● मूल्य 2.00 रुपया फाल्गुन 12, शक 1923

फिजूलखर्ची पर अंकुश नहीं

प्रो. जे.डी. अग्रवाल

अध्यक्ष, भारतीय वित्त संस्थान

अतीत की तरह ही इस बार का बजट भी कई समस्याओं से घिरा हुआ है। इसमें न तो जन सामान्य के जीवन स्तर में सुधार की चर्चाएं हैं और न उनकी बुनियादी जरूरतें पूरा करने की योजनाएं हैं। इस बजट में खाद्य और कृषि सुधारों को जारी रखने, आधारभूत ढांचे में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ाने, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार को मजबूती प्रदान करने, उदारीकरण की राह को आगे बढ़ाने तथा कर सुधारों को मजबूत बनाने पर ध्यान देने के साथ ही केंद्र और राज्य स्तरों पर आर्थिक संतुलन बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है।

वित्तमंत्री ने अपने बजट प्रस्तावों में सही तरीके की रणनीति और धनराशियों के उचित आवंटन के साथ ही कर प्रस्तावों और कराधान को विसंगतिमुक्त तथा सरल बनाने की कोशिश की है। इसके बावजूद इन प्रस्तावों से स्पष्ट है कि वित्तमंत्री और भारत सरकार फिर उन्हीं समस्याओं से घिरे हुए हैं, जिनका वे अतीत में भी शिकार रहे हैं। देश में आर्थिक सुधारों की शुरूआत के बाद से ही हम देख रहे हैं कि उनके कार्यान्वयन की स्थिति खराब है और उनका लाभ गरीबों और मजलूमों तथा हमारी अर्थव्यवस्था तक नहीं पहुंचा है। इस बजट में वित्तमंत्री ने यह जिक्र तक नहीं किया है कि अपनी घोषणाओं और प्रस्तावों को वह किस प्रकार असरदार तरीके से अंजाम देंगे।

वर्तमान कठिन आर्थिक दौर में वित्त मंत्री कृषि और अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य अच्छा संतुलन बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था की ढांचागत आवश्यकताओं के प्रति व्याप्त चिंताओं की ओर ध्यान देने की कोशिश भी की है। लघु ऋण, कर्ज से जुड़ी बचत योजना के लिए 74 करोड़ का और कृषि क्षेत्र से जुड़ी एक और योजना के लिए 500 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देगा लेकिन इसमें एक संदेह यह है कि जब पंजाब और आंध्र प्रदेश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो खेती से जुड़े कितने लोग इन योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। केंद्र और राज्यों द्वारा कई मदों में बड़े पैमाने पर फिजूल खर्ची की जाती है, उसे रोकने के लिए कोई उपयुक्त उपाय बजट में नहीं किया है। इस अकेले उपाय से ही वित्तीय घाटे का स्तर घट कर 4-4.5 प्रतिशत पर आ जाता। विगत दस वर्ष का अनुभव यह बताता है कि ढांचागत क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश और निजी क्षेत्र को आकर्षित करने में सरकार के नेक इरादे लगातार नाकाम होते रहे हैं। हालांकि दूर संचार और सड़क सुधार के क्षेत्र में सफलता भी हाथ लगी है। वित्त मंत्री ने शहरी क्षेत्र सुधार कोष के लिए 500 करोड़ और ढांचागत इक्विटी कोष के लिए 1000 करोड़ की राशि निर्धारित की है। इसी तरह छह पर्यटन परिक्षेत्रों की पहचान के लिए 225 करोड़ रु. तथा बिजली, सड़क और रेलवे के योजनागत व्यय को बढ़ा कर 37,919 करोड़ रु. तक पहुंचा दिया है जिससे सही दिशा में प्रगति की आशा बंधती है। बशर्ते इन राशियों को आने वाले साल में प्रभावी ढंग से खर्च किया जाए।

अप्रत्यक्ष करों के बारे में वित्त मंत्री के प्रस्ताव पिछले बजट में उनके द्वारा शुरू की गयी सरलीकरण की प्रक्रिया का अगला चरण है। यह प्रक्रिया विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अनुरूप है और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में सहायता मिलेगी। जहां तक प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों की बात है तो उनसे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और अन्य वेतन भोगी कर्मचारियों को राहत हासिल हो सकेगी।

डिवेडेंड कर की समाप्ति बहुत उचित निर्णय है क्योंकि वह कम्पनियों और म्युच्युअल फंड के लिए प्रगति विरोधी था। इसी तरह मान्यता प्राप्त और अधिसूचित संस्थाओं तथा चिकित्सा और शिक्षा संस्थानों को प्रदत्त छूट वापस न लेने का उनका प्रस्ताव भी सही दिशा में एक कदम है। प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के जरिए श्री सिन्हा ने कर चोरी और कर अपवन्चना रोकने का प्रयास किया है। हालांकि मजबूरी में ईमानदारी बरतने वाले उच्च वेतन भोगी कर्मचारियों को भी कुछ छूट दी जानी चाहिए थी। इसके उलट वित्तमंत्री ने उन पर पांच प्रतिशत का अधिभार और लाद दिया।